उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या.16/2016/369/26-32016-4(19)/2015

लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शिवदत्त, निवासी-मोहल्ला रमपुरा मं0क0नं0-203 पिलखुवां हापुड द्वारा 'कोरी' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या-730541200633 दिनांक-08-06-2012 प्राप्त कर नगर पालिका परिषद, पिलखुवां, हापुड के अध्यक्ष पद की आरक्षित सीट का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुये थे।

2- कालान्तर में श्री भारत कुमार पुत्र श्री मेघराज, निवासी-गांधी रोड़ निकट रामलीला मैदान, पिलखुवां, हापुड द्वारा यह शिकायत की गयी कि श्री ओमप्रकाश कोरी अनुसूचित जाति का नही बल्कि 'कोरी' जाति के है, इनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर 'कोरी' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हापुड के कार्यालय आदेश दिनांक-09-01-2012 द्वारा तहसीलदार धौलाना सें जांच कराने के आदेश दिये गये। तत्क्रम में तहसीलदार, धौलाना ने श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शिवदत्त की जाति सम्बन्धी प्रकरण की नायब तहसीलदार, धौलाना, हापुड से जाँच करायी गयी। नायब तहसीलदार, धौलाना की जाँच आख्या दिनांक-20-03-2013 के आधार पर तहसीलदार, धौलाना के आदेश दिनांक-18.04.2013 द्वारा श्री ओमप्रकाश को निर्गत 'कोरी' अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र संख्या-730541200633 दिनांक-08-06-2012 को निरस्त कर दिया गया।

3- तहसीलदार, धौलाना, हापुड के उक्त आदेश दिनांक-18-04-2013 के विरूद्ध श्री ओमप्रकाश द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-27570/2013 श्री ओमप्रकाश बनाम उ0प्र0राज्य व 02 अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-16-05-2013 में तहसीलदार, धौलाना के उक्त आदेश दिनांक-18-04-2013 को स्थगित करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि याची जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-16-05-2013 के अनुपालन में याची श्री ओमप्रकाश द्वारा जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, हापुड के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक-23-05-2013 प्रस्तुत किया गया।

4- याची के उक्त प्रत्यावेदन/अपील पर विचार किये जाने हेतु जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, हापुड की बैठक दिनांक-18-07-2013 को आहूत हुयी। उक्त तिथि को सम्पन्न बैठक में याची श्री ओमप्रकाश द्वारा साक्ष्य एवं पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। समिति ने श्री ओमप्रकाश को दिनांक-22-07-2013 को पुनः उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय प्रदान किया गया। उक्त बैठक में विपक्षी श्री भारत कुमार द्वारा प्राइमरी पाठशाला, मो0 मण्डी पिलखुवां के प्रवेश रजिस्टर की छायाप्रति, मारवाड़ इन्टर कालेज कक्षा-6 व 7 की टी0सी0 छायाप्रति, सरदार पटेल जूनियर हाई स्कूल की टी0सी0 की छायाप्रतिए तहसील द्वारा दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 एवं आरोप पत्र की प्रति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की छायाप्रति इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत किये गये। श्री ओमप्रकाश द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में शासनादेश संख्या-3808/26-3-2000-3(19)/78, दिनांक-11/10/2000 जो जनपद गाजियाबाद की तहसील, हापुड में कोरी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक था प्रस्तुत किया गया। जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने यह पाया कि 'कोरी' जाति अनुसूचित जाति के रूप मे अधिसूचित है। इस जाति के उपजातियों, समूहों, इत्यादि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण निर्गत नही किया गया है। श्री ओमप्रकाश के शैक्षिक प्रमाण पत्रों, प्राइमरी पाठशाला नं0.1 मोहल्ला, मण्डी पिलखुवां के प्रवेश रजिस्टर तथा मारवाड़ इन्टर कालेज की टी0सी0 में इनकी जाति 'कोरी' अंकित पायी गयी। नायब तहसीलदार, धौलाना की रिपोर्ट में भी यह वर्णित पाया गया कि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवदत्त का ननिहाल ग्राम हबसपुर बिगास में है। श्री ओमप्रकाश के मामा आदि ग्राम हबसपुर, विकास तहसील व जनपद-हापुड में निवास करते थे। ग्राम-हबसपुर के बिगास प्रधान द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाँच के समय यह बताया गया कि श्री गजराज सिंह व होराम सिंह पुत्रगण प्रणसुख, निवासी ग्राम जाति के कोली थे। श्री ओमप्रकाश द्वारा जनपदीय कमेटी के समक्ष यह कथन उद्धत किया गया कि कोली और कोरी एक ही जाति है। जनपद स्तरीय समिति ने उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया कि श्री ओमप्रकाश कोरी अनुसूचित जाति के न होकर कोली जाति के सदस्य है। अतएव उक्त निष्कर्ष के आधार पर जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, हापुड़ ने अपने निर्णय दिनांक-03-08-2013 द्वारा तहसीलदार धौलाना के उक्त आदेश दिनांक-18-04-2013 को नियम संगत मानते हुये उसमें हस्तक्षेप से इनकार करते हुये याची का प्रत्यावेदन/अपील दिनांक-23/05/2013 निरस्त कर दिया गया।

5- जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, हापुड़ के उक्त निर्णय दिनांक-03-08-2013 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम, मेरठ मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय दिनांक-03-08-2013 को खण्डित करने की मांग की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हापुड़ से आख्या दिनांक-03-03-2014 प्राप्त की गयी एवं विपक्षी श्री भारत कुमार तथा अपीलार्थी का पक्ष सुना गया। मण्डलीय अपीलीय फोरम ने अपने निर्णय दिनांक-27-08-2014 की विवेचना में यह पाया कि श्री ओमप्रकाश द्वारा अपने पिता के जगदीश टेक्सटाईल, पिलखुवा फैक्ट्री में कपड़ा बुनने का काम किये जाने सम्बन्धी जो दावा प्रस्तुत किया गया उसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। उक्त के अतिरिक्त समस्त अभिलेखों/साक्ष्यों में श्री ओमप्रकाश की जाति के रूप में कोली अंकित है। अतएव मण्डलीय अपीलीय फोरम, मेरठ मण्डल ने अपने आदेश दिनांक-27-08-2014 द्वारा श्री ओमप्रकाश की अपील को निरस्त करते हुये निस्तारित कर दी गयी।

6- सचिव, नगर विकास, अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश दिनांक-18-08-2015 द्वारा श्री ओमप्रकाश, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद पिलखुवां, हापुड़ को अध्यक्ष पद से पदच्युत कर दिया गया। शासन के उक्त आदेश दिनांक-18-08-2015 के विरूद्ध याची श्री ओमप्रकाश द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-58300/2015 उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में दिनांक-23-11-2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आपरेटिव अंश निम्नवत् हैः.

We, accordingly, dispose of this petition with a direction to the State Government to make all the endeavours to decide the appeal filed by the petitioner expeditiously and preferably within a period of one month from the date a certified copy of the order is filed by the petitioner before the Secretary of the concerned Department. The order impugned in this petition shall abide by the order to be passed by the State Government.

Order Date :- 23.11.2015

7- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक-23-11-2015 के क्रम में राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-09-12-2015 प्रस्तुत की गयी थी। उक्त अपील के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक-28-12-2015 द्वारा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ से आख्या मांगी गयी थी तथा शासन के पत्र दिनांक-13-01-2016 द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक दिनांक-19-01-2016 को अपरान्ह 3:30 बजे आहूत होने की सूचना उभयपक्षों को दी गयी थी। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक दिनांक-19-01-2016 को सुनवाई के समक्ष याची श्री ओमप्रकाश तथा विपक्षी श्री भारत कुमार उपस्थित हुये। जिला प्रशासन, हापुड़ के प्रतिनिधि के रूप में श्री दिलीप कुमार, तहसीलदार, धौलाना, जनपद-हापुड़ अभिलेखों सहित समिति के समक्ष उपस्थित हुये। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवदत्त निवासी.रमपुरा, पिलखुवां, हापुड़ द्वारा अपने बचाव में निम्नवत् साक्ष्य/कथन प्रस्तुत किये गयेः.

- तत्कालीन तहसील, हापुड़ में कोरी जाति को नियमानुसार जाँच पड़ताल कर मूल जाति का अभिज्ञान होने के उपरान्त ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रेषित शासन के पत्र दिनांक-11-10-2000 की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- रिश्तेदार यथा मामी श्रीमती लाली, मौसी, मामा के परिवार रजिस्टर की नकल की छायाप्रति जिसमें कोरी अंकित है। मामा के बेटे देवराज सिंह की टी0सी0 की छायाप्रति।
- अपनी पत्नी मायादेवी के नाम वर्ष 2012 में मकान क्रय किये जाने सम्बन्धी रजिस्ट्री (दिनांक-06-09-2012) की छायाप्रति।
- अपने सम्बन्धी श्री अशोक पुत्र श्री बिलकराम ग्राम अचपल-गढी को दिनांक-11-12-2002 को कोरी अनुसूचित जाति मानते हुये भूमि का हुये पट्टा के नकल की प्रति दिनांक-22-11-2002 की प्रति एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या-730541200159 दिनांक-16-04-2012 की प्रति। अपने जीजा श्री सत्यप्रकाश के नाम निर्गत कोरी जाति का प्रमाण पत्र संख्या-90111307050 दिनांक-13-07-2013 की प्रति एवं अपने ससुराल पक्ष के लोगों श्री बिटटू, श्री पिन्टू, श्री मुन्नीपाल, कु0 हिमाशी, कु0 खुशबू के वर्ष 2012 में निर्गत कोरी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र।

विपक्षी श्री भारत कुमार पुत्र श्री मेघराज सिंह, निवासी मढैया जाटान-2 पिलखुवां, हापुड़ द्वारा निम्नवत् साक्ष्य/अभिलेख समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गयेः.

- प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र पिलखुवा, हापुड़ में श्री ओमप्रकाश द्वारा दिनांक-09-09-1963 में कक्षा-1 में प्रवेश लिये जाने सम्बन्धी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक-26-07-2013 तथा प्रवेश रजिस्टर कर की छायाप्रति जिसमें कोली अंकित है की प्रति।
- मारवाड़ इन्टर कालेज, पिलखुवां, हापुड़ में श्री ओमप्रकाश द्वारा लिये गये प्रवेश की टी0सी0 प्रमाण पत्र दिनांक-19-04-2012 की छायाप्रति जिसमें जाति तथा धर्म के रूप में कोली अंकित है की प्रति।
- सरदार पटेल, जूनियर हाई स्कूल पिलखुवां (गाजियाबाद) में कक्षा-8 की टी0सी0 में श्री ओमप्रकाश की जाति/धर्म के रूप में हिन्दू कोली (बुनकर) अंकित है की प्रति।
- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवदत्त व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध फर्जी शपथ पत्र के आधार पर कोरी अनुसूचित जाति का प्राप्त किये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में स्थानीय थाना, हापुड़ गाजियाबाद में दिनांक-20-07-1996 को दर्ज एफ0आई0आर0 की प्रति।
- वाद संख्या-372/96 सरकार बनाम रामपाल में न्यायालय विशेष न्यायधीश (ई0सी0) एक्ट में पारित आदेश दिनांक-09-07-2013 की प्रतिलिपि जिसमें अभ्युक्त श्री ओमप्रकाश द्वारा स्वयं अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्वीकार किया गया कि उनकी जाति कोली है।

8- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पत्र दिनांक-11-01-2016 द्वारा शासन को आख्या उपलब्ध करायी गयी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अध्यादेश 1796 द्वारा उ0प्र0 के लिये निर्गत अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या-50 पर कोरी जाति अधिसूचित है अन्य किसी उपजाति/समूह को अधिसूचित नही किया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-107वी.आई.पी.26-3-97-3(19)/78, दिनांक-07-11-97, शासनादेश संख्या-117/26-3-98-3(19)/78 टी.सी., दिनांक.07-04-1998 तथा शासनादेश संख्या-197/26-3-2008-3(19)/78, दिनांक-21-01-2008 द्वारा कोरी, (हिन्दू जुलाहा) अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत कर दिया गया था जिसे सिविल मिस0 पिटीशन नं0 (पी.आई.एल.) 74732/2010 सुखपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में शासनादेश संख्या.296/26-3-2011-3(19)/78, दिनांक-18.01.2011 द्वारा पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक.07.11.1997, 07.04.1998 तथा दिनांक.21.01.2008 को निरस्त कर दिया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि कोरी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर कोई रोक नही लगायी गयी है। ऐसे हिन्दू जुलाहे जो कोरी जाति के है, को राजस्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारियों द्वारा पूर्व की तरह भली-भांति उनके रहन-सहन/भू-राजस्व अभिलेखों/पूर्वजों के सुसंगत प्रमाणों इत्यादि की जांच पड़ताल करके कोरी जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाते रहेंगे।

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने शासन को प्रेषित आख्या दिनांक.11.01.2016 में यह उल्लेख किया गया कि कोली, कोरी तथा हिन्दू जुलाहा जाति का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण जनपद.गाजियाबाद, झांसी तथा बुलन्दशहर का वर्ष 1992-93 में किया गया था जिसके निष्कर्ष में यह पाया गया कि कोरी की उत्पत्ति कोल से हुयी है। शेरिंग (सम्प्रति ब्रिटिश इतिहासकार) के अनुसार कोरी व कोली बुनकर है तथा आगरा के आस-पास पायी जाती है। क्षेत्र से प्राप्त अनुभव के अनुसार कोली, हिन्दू जुलाहा (जो मूल रूप से कोरी है) कबीर पंथी जुलाहा (चमर जुलाहा को छोड़कर) तथा कोरी जाति एक ही है। सहारनपुर जनपद में कोली जाट के लोग भी निवास करते पाये गये है जो जाट है क्योंकि इनके गोत्र कोरी से नही मिलते है। 85 प्रतिशत परिवारों का पैत्रृक व्यवसाय कपड़ा बुनना बताया गया। वर्तमान में 10 प्रतिशत लोग कपड़ा बुनने का कार्य करते है। 65 प्रतिशत परिवार भूमिहीन पाये गये है। सर्वेक्षण के दौरान इनमें कोई सामाजिक निर्योग्यता नही पायी गयी।

इसी प्रकार कोरी के समान कोली हिन्दू जुलाहा व कबीरपंथी जुलाहा को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2006-07 में जनपद गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ एवं बुलन्दशहर का भी सर्वेक्षण किये जाने तथा उसके निष्कर्ष में कोली जाति के सामाजिक रीति रिवाज कोरी जाति से भिन्न पाये जाने तथा अनुसूचित जाति घोषित करने सम्बन्धी निर्धारित मानक अस्पृश्यता जैसी घृणित रूढिवादिता कोली जाति में नही होने की आख्या दी गयी तथा इनका ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के लोगों के साथ बराबर के खान.पान का सम्बन्ध बताया गया।

9. राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष सुनवाई में उपस्थित तहसीलदार, धौलाना, श्री दिलीप कुमार द्वारा यह बताया गया कि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवदत्त को दिनांक.15.07.1996 को कोरी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था। जिसके सम्बन्ध में उनके विरूद्ध प्रशासन द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। श्री ओमप्रकाश को पुनः दिनांक08.06.2012 को कोरी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ।

राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने उपलब्ध अभिलेखों/तथ्यों अनुशीलन में यह पाया कि श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शिवदत्त, निवासी.रमपुरा, पिलखुवां, हापुड को वर्ष 1996 में तहसील से कोरी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था जिसके सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा दिनांक.20.07.1996 को एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। प्रकरण में विशेष न्यायधीश (ई0सी0एक्ट) न्यायालय, गाजियाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-79/2013 में अभियुक्त श्री ओमप्रकाश द्वारा स्वयं मा0 न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया कि इस मुकदमें में उन्हें झूठा फसाया गया है जबकि उनकी जाति कोली है। अतएव राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी यह मानती है कि श्री ओमप्रकाश द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष जो स्वीकारोक्ति की गयी है वह सही है।

श्री ओमप्रकाश द्वारा समिति के समक्ष अपने बचाव में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये वह उनकी जाति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने के बाद (वर्ष 2002, 2012, एवं 2013) के है। वर्ष 1996 से पूर्व का कोई भी ऐसा अभिलेख/साक्ष्य समिति के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया जा सका जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वह कोरी अनुसूचित जाति के है। विपक्षी श्री भारत कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख तथा जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी तथा मण्डलीय अपीलीय फोरम मेरठ, मण्डल मेरठ के निर्णय से यह स्पष्ट है कि श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शिवदत्त निवासी.रमपुरा, पिलखुवां, हापुड की जाति कोरी न होकर कोली है। भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 हेतु जारी अनुसूचित जाति की सूची में कोली जाति अंकित नही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. अतएव उपरोक्त विवेचन के उपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मण्डलीय अपीलीय, फोरम मेरठ मण्डल, मेरठ का उक्त निर्णय दिनांक-27.08.2014 नियमानुसार एवं विधिसंगत है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नही है। अतएव उक्त याचिका संख्या.58300/2015 ओमप्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक.23.11.2015 के अनुपालन में अपीलार्थी की उक्त अपील दिनांक 09.12.2015 को राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार एतदद्वारा निस्तारित करती है।

वीरेन्द्र कुमार सिंह निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ	केदारनाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

पृ0संख्या-16/2016/369/(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के उनके उक्त निर्णय दिनांक.27.08.2014 के सन्दर्भ में।
2. सचिव, नगर विकास अनुभाग.2 को उनके अर्द्ध0शा0 पत्रांक.1843/नौ-2-15-17(5)/13 दिनांक. 17.12.2015 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, हापुड को उनके निर्णय दिनांक.03.08.2013 के सन्दर्भ में।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
6. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शिवदत्त निवासी.मोहल्ला.रमपुरा, मं0क0नं0.203, पिलखुवां, हापुड।
7. श्री भारत कुमार पुत्र श्री मेघराज निवासी.गांधीरोड़ निकट रामलीला मैदान, पिलखुवां, हापुड।

8- गार्ड फाईल/इन्टररनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।